20 रु. कोर्ट फीस COURT FEE Rs. 20
भारत INDIA
बीस रुपये TWENTY RUPEES
CANCELLED.

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर संभाग

निगरानी/दमोह/भू.रा./2017/3173

देवीप्रसाद तनय माखनलाल कुर्मी ,

निबासी– ग्राम झागर, तहसील पथरिया ,जिला दमोह म0प्र0

.............आवेदक

वनाम

1– देवेन्द्र कुमार तनय पूरनलाल कुर्मी,

निबासी– ग्राम कुमेरिया, तहसील पथरिया ,जिला दमोह म0प्र0

2– राजस्व निरीक्षक, वृत सदगंवा , तह0 पथरिया, जिला दमोह

............. अनावेदकगण

B-O-R.
06 JUL 2017

## निगरानी आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :–

**आवेदकगण की ओर से निम्न प्रार्थना है :–**

1– यह कि आवेदक यह निगरानी **वृत सदगंवा, तह0 पथरिया, जिला दमोह द्वारा प्र0क0 40/अ12/2016–17 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 16/06/2017 एवं 23/06/2017** एवं संपूर्ण सीमांकन प्रकिया से परिवेदित होकर कर रहा है। जो समय सीमा में है। माननीय न्यायालय को निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

2– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, रिस्पॉ0 01 द्वारा खसरा नंबर 981/2 रकवा .800 हैक्टेयर का सीमांकन वावद आवेदनपत्र देकर अनावेदक कमांक 02 से कराया, अनावेदक कमांक 02 द्वारा बगैर सीमांत कृषकों को सूचनापत्र जारी किये एवं आवेदकगण को भी सूचनापत्र जारी किये बगैर ही दिनांक 16/06/2017 का सीमांकन दिखाकर, आवेदक का भूमि खसरा नंबर 981/2 के रकवा 0.600 हैक्टेयर पर तथा अन्य कृषकों का अन्य भूमि पर कब्जा बतला दिया। जिससे परिवेदित होकर आवेदकगण यह निगरानी प्रस्तुत कर रहा हैं।

160
11/07/2017

### निगरानी के आधार

प्रकरण क्रमांक :—एक / निगरानी / दमोह / भू.रा. / 2017 / 3173

देवीप्रसाद विरूद्ध देवेन्द्र व अन्य

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 22—08—2019 | प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी तहसीलदार पथरिया, जिला—दमोह के प्रकरण क्रमांक 40 / अ—12 / 2016—17 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 16—06—2017 एवं 23—06—2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27—07—2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25—9—2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला—दमोह के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।<br>2/ पक्षकार दिनांक 04—11—2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।<br>(जे0के0 जैन)<br>सदस्य | |